न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 40/2020 – निगरानी

1. सांवरलाल जाट पुत्र श्रीराम जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ	बनाम	1. श्री शंकर लाल जाट पुत्र धन्ना जाट निवासी रलायता तहसील माण्डलगढ 2. ग्राम पंचायत थलकला जरिए सचिव, ग्राम पंचायत थलकला, तहसील माण्डलगढ
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पत्रावली निरस्तीकरण पट्टा क्र० 13/2035 दिनांक 29/07/1978 व पट्टा जारी दिनांक 29/12/1979 ग्राम पंचायत थलकला,तहसील माण्डलगढ

उपस्थित –

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 28.05.2025

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम एवं व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत विपक्षीगणो के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार के पिता श्रीराम जाट पुत्र प्रताप जाट ने गैर निगराकार संख्या 2 से पट्टा पत्रावली कमांक 10/2035 दिनांक 28.07.1978 को 150/– जमा कराने पर 150x150 फीट बाड़े का पट्टा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर 29/12/1979 को प्राप्त किया था। उक्त बाड़े के उत्तर में हीरा जाट का बाड़ा, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में चतुर्भुज जाट का बाड़ा, पश्चिम में पंचायत की पड़त भूमि का पट्टा है। गैर निगराकार संख्या 1 ने नंदा पिता बालु जाट के नाम का फर्जी पट्टा, पट्टा कमांक 13/2035 नपती 140x100 फीट 300/– जमा करवाकर जारी करवाया गया। उक्त पट्टे के पूर्व में चतुर्भुज जाट का बाड़ा, पश्चिम पंचायत पड़त जमीन उत्तर हजारी पिता हीरा जाट का तलिया, दक्षिण में आम रास्ता है, जो कि दिनांक 29/12/1979 का बताया। गैर निगराकार संख्या 1 मृतक नंदा पिता बालु जाट के नाम से मिलकर फर्जी व कूटररचित पट्टा बनाया है जो निरस्तनीय है। नंदा की पत्नी का भी बेऔलाद निधन हुआ था। गैर निगराकार सं 1 ने उक्त भूखण्ड पर नंदा जाट से खरीदना बताया जबकि नंदा जाट का उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा। दिनांक 09.01.1992 कब्जा विहीन होते हुए भी गैर निग० 1 तथा नंदा जाट ने कब्जा नहीं होते हुए भी गैर निगराकार 1 को अवैध रूप से

अति. जिला कलक्टर भीलवाडा